रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 101] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 16, 2010/चैत्र 26, 1932
No. 101] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 16, 2010/CHAITRA 26, 1932

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अप्रैल, 2010

सं. भा.आ.प. 34(41)/2010/मेडि./3492.—भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 33 के साथ पठित धारा 10क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, "अध्ययन या प्रशिक्षण का कोई नया या उच्चतर पाठ्यक्रम (अध्ययन या प्रशिक्षण के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित) खोलना और अध्ययन या प्रशिक्षण के किसी पाठ्यक्रम (अध्ययन या प्रशिक्षण के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित) में प्रवेश क्षमता बढ़ाना विनियमावली, 2000" में पुन: संशोधन करने हेतु, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, नामत: :—

1. (i) इन विनियमों को "अध्ययन या प्रशिक्षण का कोई नया या उच्चतर पाठ्यक्रम (अध्ययन या प्रशिक्षण के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित) खोलना और अध्ययन या प्रशिक्षण के किसी पाठ्यक्रम (अध्ययन या प्रशिक्षण के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित) में प्रवेश क्षमता बढ़ाना (संशोधन) विनियमावली, 2010 (भाग-II)" कहा जाए।

   (ii) वे सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. (i) "अध्ययन या प्रशिक्षण का कोई नया या उच्चतर पाठ्यक्रम (अध्ययन या प्रशिक्षण के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित) खोलना और अध्ययन या प्रशिक्षण के किसी पाठ्यक्रम (अध्ययन या प्रशिक्षण के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित) में प्रवेश क्षमता बढ़ाना विनियमावली, 2000" का खंड 6 दिनांक 9-12-2009 की अधिसूचना के अंतर्गत प्रतिस्थापित किया गया परंतु प्रतिवर्ष 200/250 दाखिलों हेतु मेडिकल कॉलेज के लिए कोई न्यूनतम मानक शर्तें अधिसूचित नहीं की गई थी और अब ये शर्तें इसके साथ संलग्न क्रमश: अनुबंध-क और ख के अनुसार होंगी।

   (ii) "अध्ययन या प्रशिक्षण का कोई नया या उच्चतर पाठ्यक्रम (अध्ययन या प्रशिक्षण के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित) खोलना और अध्ययन या प्रशिक्षण के किसी पाठ्यक्रम (अध्ययन या प्रशिक्षण के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित) में प्रवेश क्षमता बढ़ाना विनियमावली, 2000" के दिनांक 9-12-2009 की अधिसूचना के अंतर्गत यथा प्रतिस्थापित खंड 6 में निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा :

   "आवेदक संस्थान द्वारा निम्नलिखित प्रपत्र पर अनिवार्यता प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाएगा :—

   '200/250 सीटों के प्रवेश के लिए अनिवार्यता प्रमाणपत्र'

   संख्या ....

   .... सरकार

   स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

दिनांक ....

सेवा में,

(आवेदक),

पाठ्यक्रम ....

महोदय,

अपेक्षित प्रमाणपत्र निम्नलिखित है :

(1) प्रमाणित किया जाता है कि .... एम बी बी एस

(संस्थान का नाम)

पाठ्यक्रम में .... सीटों के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अधिनियम, 1956 की धारा 11(2) के अंतर्गत मान्यताप्राप्त है ।

(2) राज्य में पहले से ही मौजूद संस्थानों की संख्या :

(3) एम बी बी एस पाठ्यक्रम प्रदान करने वाले संस्थानों की संख्या :

(4) राज्य में एम बी बी एस पाठ्यक्रम में उपलब्ध सीटों की संख्या :

(5) एम बी बी एस पाठ्यक्रम संस्थापित करने के लिए पूरा औचित्य :

........................(संस्थान का नाम) ने एम बी बी एस पाठ्यक्रम की वार्षिक प्रवेश क्षमता को बढ़ाकर 200/250 सीटें करने के लिए आवेदन किया है । प्रस्ताव पर सावधानी से विचार करने के पश्चात् .... सरकार ने निर्णय लिया है कि एम बी बी एस पाठ्यक्रम की वार्षिक प्रवेश क्षमता को बढ़ाकर 200/250 सीटें करने के लिए आवेदक को अनिवार्यता प्रमाण-पत्र जारी किया जाए ।

प्रमाणित किया जाता है कि :

(क) कि लोक हित में एम बी बी एस पाठ्यक्रम में वार्षिक प्रवेश क्षमता को बढ़ाकर 200/250 सीटें करना व्यवहार्य है ।

(ख) .... (संस्थान का नाम) द्वारा एम बी बी एस पाठ्यक्रम में वार्षिक प्रवेश क्षमता को बढ़ाकर 200/250 सीटें करना व्यवहार्य है।

(ग) संस्थान के पास .... वर्षों की स्टैंडिंग के साथ अध्यापन बिस्तरों की संख्या .... है ।

(घ) ओपीडी में प्रतिदिन मरीजों की संख्या का औसत .... है ।

(ङ) बिस्तरों की आक्युपेंसी का औसत ....% है ।

(च) संबद्ध अध्यापन अस्पताल का स्वरूप एकात्मक है ।

(छ) ....(संस्थान का नाम) में, अध्यापन बिस्तरों की संख्या, ओपीडी में मरीजों का औसत और उपलब्ध बिस्तरों की आक्युपेंसी का औसत दिनांक 9 दिसम्बर, 2009 की अधिसूचना के अंतर्गत भारत के राजपत्र में यथा अधिसूचित "अध्ययन या प्रशिक्षण का कोई नया या उच्चतर पाठ्यक्रम (अध्ययन या प्रशिक्षण के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित) खोलना और अध्ययन या प्रशिक्षण के किसी पाठ्यक्रम (अध्ययन या प्रशिक्षण के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित) में प्रवेश क्षमता बढ़ाना विनियमावली, 2000" के अंतर्गत निर्धारित किए गए मानदंड से कम नहीं है ।

पुन: यह प्रमाणित किया जाता है कि भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के मानदंडों के अनुसार पाठ्यक्रम के लिए अवसंरचना सृजित करने में आवेदक के विफल रहने की स्थिति में केंद्रीय सरकार द्वारा नए दाखिले रोक दिए जाएंगे और राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार की अनुमति से कॉलेज में उपरोक्त पाठ्यक्रम में पहले से ही दाखिल कर लिए गए छात्रों की जिम्मेदारी लेगी ।

भवदीय,

(सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर)"

ले.क. (से.नि.) डॉ. ए.आर.एन. सीतलवाड, सचिव

[विज्ञापन III/4/100/10/असा.]

पाद टिप्पणी : प्रधान विनियमावली नामत: "अध्ययन या प्रशिक्षण का कोई नया या उच्चतर पाठ्यक्रम (अध्ययन या प्रशिक्षण के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित) खोलना और अध्ययन या प्रशिक्षण के किसी पाठ्यक्रम (अध्ययन या प्रशिक्षण के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित) में प्रवेश क्षमता बढ़ाना विनियमावली, 2000" भारत के राजपत्र के भाग-III, धारा 4 में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की दिनांक 14 अगस्त, 2000 की अधिसूचना संख्या 34(41)/2000-मेडि. के अंतर्गत दिनांक 7 अक्तूबर, 2000 को प्रकाशित की गई थी और इसे भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की दिनांक 22 मार्च, 2005, 29 जुलाई, 2008, 23 सितम्बर, 2009, 9 दिसम्बर, 2009 और 11 जनवरी, 2010 की अधिसूचना के अंतर्गत संशोधित किया गया था ।

अनुबंध—क

प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 200 दाखिलों हेतु मेडिकल कॉलजों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली, 2010

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्

सेक्टर–8, पॉकेट–14, द्वारका,

नई दिल्ली–110 077

दूरभाष +91–11–25367033, 25367035, 25367036

फैक्स : +91–11–25367024

ई–मेल : mci@bol.net.in, contact@mciindia.org

वेबसाइट : http://www.mciindia.org

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्

नई दिल्ली, 16 अप्रैल, 2010

सं. भा.आ.प. **35(1)/98–मेडि.(ii)/3492**.–भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, नामतः –

1. (i) **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभण** : इन विनियमों को ''प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 200 दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें (संशोधन) विनियमावली, 2010'' कहा जाए ।

   (ii) वे सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. **उद्देश्य** : इन विनियमों का उद्देश्य प्रति वर्ष एमबीबीएस के 200 दाखिलों के लिए अनुमोदित किसी मेडिकल कॉलेज और आयुर्विज्ञान संस्थान के लिए कॉलेज और संबद्ध अध्यापन अस्पतालों में आवास की न्यूनतम शर्तें, कॉलेज के विभागों और अस्पतालों में स्टाफ (अध्यापन और तकनीकी दोनों) तथा उपस्कर निर्धारित करना है।

3. प्रतिवर्ष एमबीबीएस में 200 दाखिलों के लिए प्रत्येक मेडिकल कॉलेज और आयुर्विज्ञान संस्थान में निम्नलिखित विभाग होंगे, नामतः

   (1) मानव शरीर–विज्ञान विभाग

   (2) मानव शरीर–क्रियाविज्ञान विभाग

   (3) जीवरसायन विभाग

   (4) रोग–विज्ञान विभाग

   (5) सूक्ष्मजीव–विज्ञान विभाग

   (6) भेषज–विज्ञान विभाग

   (7) फोरेंसिक मेडिसिन विभाग

   (8) कम्युनिटी मेडिसिन विभाग

   (9) मेडिसिन विभाग

   (10) बालरोग–विज्ञान विभाग

   (11) मनश्चिकित्सा विभाग

   (12) त्वचा–विज्ञान, रति रोग विज्ञान एवं कुष्ठ रोग विभाग

   (13) तपेदिक एवं श्वसनी रोग विभाग

   (14) शल्य–चिकित्सा विभाग

(15) विकलांग–विज्ञान विभाग

(16) विकिरण निदान विभाग

(17) विकिरण चिकित्सा विभाग

(18) कान, नाक, गला रोग–विज्ञान विभाग

(19) नेत्र–विज्ञान विभाग

(20) प्रसूति एवं स्त्री रोग–विज्ञान विभाग

(21) दंत चिकित्सा–विज्ञान विभाग

उपरोक्त विभागों के अलावा, विभिन्न विशेषज्ञताओं में स्नातकोत्तर डिग्री/ डिप्लोमा पाठ्यक्रम चलाने वाले मेडिकल कॉलेजों/ आयुर्विज्ञान संस्थानों में कॉलेज या आयुर्विज्ञान संस्थान की अध्यापन संबंधी आवश्यकताएं और जनता की स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं पूरी करने हेतु अन्य विभाग हो सकते हैं।

4. प्रतिवर्ष एमबीबीएस में 200 दाखिलों के लिए प्रत्येक मेडिकल कॉलेज और आयुर्विज्ञान संस्थान तथा इसके संबद्ध अध्यापन अस्पतालों में इन विनियमों के साथ संलग्न क्रमशः अनुसूची–I, II और III में यथाउल्लिखित अध्यापन और तकनीकी स्टाफ के लिए आवास तथा प्रत्येक विभाग के लिए उपस्कर उपलब्ध होंगे।

अनुसूची – I

मेडिकल कॉलेज और इसके संबद्ध अध्यापन अस्पतालों में स्थान

क–कॉलेज

क.1 सामान्यः

क.1.1 परिसर

महानगरों और 'ए' ग्रेड के शहरों (अहमदाबाद, हैदराबाद, पुणे, बंगलौर और कानपुर) में स्थित मेडिकल कॉलेजों या मेडिकल संस्थानों को छोड़कर, अन्य मेडिकल कॉलेज या आयुर्विज्ञान संस्थान, कम से कम 25 एकड़ भूमि के एकात्मक परिसर में स्थित होगा। तथापि, किसी ऐसे स्थान, विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों, जहां जनसंख्या 25 लाख से अधिक है, पर्वतीय क्षेत्रों, अधिसूचित जनजातीय क्षेत्रों, पूर्वोत्तर राज्यों, पहाड़ी राज्यों और अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूहों, दमन एवं दीव तथा दादर एवं नगर हवेली में छूट दी जा सकती है, जहां भूमि दो से अधिक टुकड़ों में नहीं होगी और भूमि के दो टुकड़ों के बीच का फासला 10 किलोमीटर से अधिक नहीं होगा। छात्रों, अंतरंग डाक्टरों,

स्नातकोत्तर/ आवासी डाक्टरों के लिए होस्टलों और पुस्तकालय सहित अस्पताल, कॉलेज का भवन भूमि के एक टुकड़े में होगा, जो 10 एकड़ से कम नहीं होगा। अन्य सुविधाएं, दूसरे टुकड़े में स्थित हो सकती हैं। उचित भू–दृश्य निर्माण (लैंडस्केपिंग) किया जाना चाहिए।

तथापि, महानगरों और 'ए' ग्रेड के शहरों (अहमदाबाद, हैदराबाद, पुणे, बंगलौर और कानपुर) में मेडिकल कॉलजों की अनुमति प्रदान करने के लिए अनुमत एफएआर/एफएसआई, ही एकमात्र मापदंड होगा, बशर्ते कि मेडिकल कॉलेज, अस्पताल, होस्टल, आवासीय क्वार्टरों और न्यूनतम मानक शर्त विनियमावली के अनुसार अपेक्षित अन्य अवसंरचना सहित उपयुक्त अवसंरचना के लिए अपेक्षित कुल निर्मित क्षेत्रफल, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमत, अनुमेय एफएआर/ एफएसआई के आधार पर कम से कम 10 एकड़ का क्षेत्रफल उपलब्ध कराया जाए।

क.1.2 प्रशासनिक ब्लॉक :

प्रधानाचार्य/ डीन के कार्यालय (36 वर्ग मीटर), स्टाफ कक्ष (54 वर्ग मीटर), कॉलेज परिषद् कक्ष (80 वर्ग मीटर), कार्यालय अधीक्षक कक्ष (10 वर्ग मीटर), कार्यालय (150 वर्ग मीटर), रिकार्ड कक्ष (100 वर्ग मीटर), संबद्ध प्रसाधनों सहित पुरुष और महिला छात्रों के लिए अलग–अलग कॉमन कक्ष (200–200 वर्ग मीटर), कैफेटेरिया (400 वर्ग मीटर) के लिए स्थान उपलब्ध कराया जाएगा।

क.1.3 कॉलेज परिषद् :

प्रत्येक मेडिकल कॉलेज या आयुर्विज्ञान संस्थान में एक कॉलेज परिषद् होगी, जिसमें सदस्यों के रूप में विभागाध्यक्ष और अध्यक्ष के रूप में प्रधानाचार्य/डीन होंगे। परिषद् की बैठक एक वर्ष में कम से कम चार बार होगी, जिनमें पाठ्यक्रमों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के ब्योरों, अनुशासन लागू करने तथा अन्य अकादमिक मामलों पर चर्चा की जाएगी। यह परिषद् अंतःविभागीय बैठकें जैसे ग्रांड राउंड्स, सांख्यिकीय बैठकें और क्लिनिको पैथोलॉजिकल बैठकें आयोजित करेगी। इन बैठकों में नियमित रूप से संस्थान में आवधिक अनुसंधान समीक्षा शामिल होंगी।

क.1.4 केंद्रीय पुस्तकालय :

एक वातानुकूलित केंद्रीय पुस्तकालय (3200 वर्ग मीटर) होगा, जिसमें पढ़ने के लिए कम से कम 400 छात्रों के लिए बैठने की व्यवस्था और अच्छी प्रकाश तथा संवातन व्यवस्था और पुस्तकें एवं जर्नलों के भंडारण तथा प्रदर्शन की व्यवस्था होगी । 200 छात्रों के लिए अंदर की तरफ एक कमरा और 200 छात्रों के लिए बाहर की तरफ एक

कमरा होगा। इसमें कम से कम 15000 पाठ्य पुस्तकें और संदर्भ पुस्तकें होनी चाहिए। किसी नए मेडिकल कालेज में पुस्तकों की कुल संख्या, पांच वर्षों में वार्षिक आधार पर अनुपाततः विभाजित होनी चाहिए। जर्नलों की संख्या 100 होगी, जिनमें से एक–तिहाई विदेशी जर्नल होंगे और इन्हें निरंतर आधार पर पूर्वक्रीत किया जाएगा। स्नातक –पूर्व अध्यापन के प्रत्येक विषय पर पाठ्य पुस्तकों की प्रतियों की संख्या 10 होगी ।

निम्नलिखित की व्यवस्था भी होगी:–

क. 40 व्यक्तियों के लिए स्टाफ वाचनालय;

ख. पुस्तकालयाध्यक्ष और अन्य स्टाफ के लिए कमरे;

ग. जर्नल रूम;

घ. प्रति बनाने की सुविधाओं के लिए कमरा;

ड. वीडियो और कैसेट रूम (वांछनीय);

च. न्यूनतम 25 नोड्स के साथ मेडलर और इंटरनेट की सुविधा सहित वातानुकूलित कंप्यूटर कक्ष ।

मेडिकल कालेजों में कौशल प्रयोगशालाएं होनी चाहिए और उन्हें मेडिसिन के अध्यापन में सूचना प्रौद्योगिकी अपनानी चाहिए। ई–पुस्तकालय की व्यवस्था भी होगी।

क.1.5 व्याख्यान थियेटर :

संस्थान में गैलरी टाइप के कम से कम छः व्याख्यान थिएटर, वरियतः वातानुकूलित, होंगे जिनमें से पांच व्याख्यान थिएटर 240–240 छात्रों की बैठने की क्षमता वाले और एक 500 छात्रों की बैठने की क्षमता वाला होगा। व्याख्यान थिएटर में ओवरहैड प्रोजेक्टर, स्लाइड प्रोजेक्टर, एल सी डी प्रोजेक्टर और एक माइक्रोफोन सहित स्वतंत्र रूप से आवश्यक दृश्य–श्रव्य सहायक उपकरण उपलब्ध कराएं जाएंगे। सभी विभागों द्वारा इन व्याख्यान थिएटरों का साझा इस्तेमाल, बनाए गए कार्यक्रम के अनुसार किया जाएगा। ई–कक्षा की व्यवस्था होगी। व्याख्यान हालों में अध्यापन के लिए ई–कक्षा/वास्तविक कक्षा में रूपांतरण की सुविधाएं होनी चाहिए। मौजूदा कालेज एक वर्ष के अंदर अपने व्याख्यान हालों में ये सुविधाएं आरंभ करेंगे।

क.1.6 सभागार/परीक्षा हाल (बहु–उद्देशीय) :

अधिक से अधिक तीन स्तरों पर 1600 वर्ग मीटर का एक सभागार–व–परीक्षा हाल होगा।

क.1.7 केंद्रीय फोटोग्राफिक अनुभाग :

स्टुडियो के लिए स्थान सहित केंद्रीय फोटोग्राफिक और दृश्य–श्रव्य अनुभाग, डार्क रूम, एनलार्जिंग और फोटोस्टेट कार्य **की व्यवस्था की जायेगी**। कलाकारों और मेडिकल प्रदर्शकों तथा मोडेलरों के लिए स्थान उपलब्ध कराया जाएगा। माइक्रोफोटोग्राफी और माउंटिंग के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

क.1.8 केंद्रीय कार्यशाला :

एक केंद्रीय कार्यशाला होगी, जिसमें कॉलेज और अस्पतालों के मेकेनिकल, इलेक्ट्रीकल और ए/सी तथा रेफ्रिजरेशन उपस्करों की मरम्मत के लिए सुविधाएं होंगी। इसमें योग्यताप्राप्त कार्मिक तैनात किए जाएंगे।

क.1.9 पशु गृह :

विभागीय पशुगृह का अनुरक्षण, भेषज–विज्ञान **विभाग** द्वारा किया जा सकता है। पशुगृह के अलावा, पशुओं पर प्रायोगिक कार्य का प्रदर्शन, कंप्यूटर सहायता प्राप्त शिक्षा के माध्यम से किया जा सकता है

क.1.10 भस्मक

अस्पताल के **बिस्तरों** की संख्या के अनुपात में एक भस्मक संयंत्र उपलब्ध कराया जाए। विकल्पतः संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनुमोदित कोई अन्य प्रणाली उपलब्ध कराई जा सकती है।

क.1.11 चिकित्सा शिक्षा इकाई :

संकाय विकास और अध्यापन या शिक्षण संसाधन सामग्री उपलब्ध कराने हेतु एक चिकित्सा शिक्षा इकाई या विभाग होगा।

क.1.12 अनुसंधान कार्य :

संबंधित विभागा में, दर्शाए गए अनुसार स्थान प्रत्येक विभाग में उपलब्ध कराया जाएगा, जो विधिवत सुसज्जित और अनुसंधान कार्य के लिए उपयुक्त उपकरणों से लैस होगा और जिसमें अपने क्रियाकलापों का विस्तार करना होगा।

क.1.13 इंटरकॉम नेटवर्क

बेहतर सेवाओं, समन्वय और मरीजों की देखभाल के लिए विभिन्न अनुभागों, अस्पतालों और कॉलेज के बीच पेजिंग और ब्लीप प्रणाली सहित इंटरकॉम नेटवर्क उपलब्ध कराया जाएगा।

क.1.14 खेल का मैदान और व्यायामशाला :

स्टाफ और छात्रों के लिए खेल का एक मैदान और व्यायामशाला होगी। कोई योग्यताप्राप्त शारीरिक शिक्षा अनुदेशक खेलकूद संबंधी क्रियाकलापों और रखरखाव की देखरेख करेगा।

क.1.15 बिजली :

निरंतर बिजली आपूर्ति की जाएगी और इसके साथ पर्याप्त संख्या **में आपात उपयोगी यूपीएस या जनरेटरों की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि** चौबीस घंटे विद्युत उपलब्ध रहे।

क.1.16 स्वच्छता और जल आपूर्ति :

अध्यापन स्टाफ, छात्रों (पुरुष और महिला), तकनीकी और अन्य स्टाफ के लिए आवश्यकतानुसार सभी अनुभागों में पर्याप्त, स्वच्छता सुविधाएं (शौचालय और स्नानागार– महिलाओं के लिए अलग) और सुरक्षित निरंतर पेय जल सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ऐसी व्यवस्थाएं की जानी चाहिए ताकि चौबीस घंटे प्लंबर उपलब्ध रहे।

क.1.17 : 6 प्रयोगशालाएं (प्रत्येक 300–300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाली) होंगी, जिनमें निरंतर काम करने के लिए मेजें उपलब्ध कराई जाएगी। प्रत्येक सीट के साथ स्टेनलेस स्टील का वाश बेसिन उपलब्ध कराया जाएगा। काम करने की प्रत्येक मेज में ड्रावर या स्टीम प्रूफ टॉप होगा और अलग–अलग प्रकाश व्यवस्था होगी। सभी प्रयोगशालाओं के साथ 15 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का एक–एक तैयारी कक्ष उपलब्ध कराया जाएगा।

दो प्रयोगशालाएं होंगी, जिनमें से प्रत्येक का क्षेत्रफल 120–120 वर्ग मीटर होगा ।

इनमें से सभी प्रयोगशालाओं का इस्तेमाल, सामूहिक रूप से विभिन्न विभागों अर्थात् ऊतक–विज्ञान और ऊतक रोगविज्ञान, जीवरसायन और नैदानिक औषध–विज्ञान, रूधिर–विज्ञान और रोग–विज्ञान, सूक्ष्मजीव–विज्ञान तथा कम्युनिटी मेडिसिन विभागों द्वारा किया जा सकता है।

केंद्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला

मेडिकल कॉलेज में उपकरणों से लैस एक केंद्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला होगी, जो कालेज के डीन के नियंत्रण में होगी। मौजूदा कॉलेज दो वर्ष के अंदर प्रयोगशाला स्थापित करेंगे। प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में फार्माको–सतर्कता समिति होगी।

क.1.18 चिकित्सा शिक्षा इकाई में अध्यापकों का प्रशिक्षण:

किसी चिकित्सा शिक्षा इकाई में किसी अध्यापक के प्रशिक्षण की अवधि एक सप्ताह से बढ़ाकर दो सप्ताह की जाएगी ।

क.1.19 ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र :

प्रत्येक मेडिकल कालेज में, समुदायोन्मुखी प्राथमिक स्वास्थ्य सुरक्षा और इससे सम्बद्ध ग्रामीण समुदाय के लिए ग्रामीण आधारित स्वास्थ्य शिक्षा में छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए, कालेज के डीन के प्रशासनिक नियंत्रण में एक ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र होगा। यह स्वास्थ्य केंद्र, मेडिकल कालेज से 30 कि.मी. की दूरी के अंदर या एक घंटे

की यात्रा के अंदर होगा। छात्रों और छात्राओं तथा आवासी डाक्टरों के लिए मैस की सुविधाओं के साथ अलग–अलग आवासीय व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। फील्ड कार्य और अध्यापन तथा प्रशिक्षण कियाकलाप चलाने के लिए कम्युनिटी मेडिसिन विभाग द्वारा पर्याप्त परिवहन व्यवस्था (स्टाफ और छात्रों दोनों के लिए) उपलब्ध कराई जाएगी।

क.2 विभाग

(1) शरीरक्रिया–विज्ञान विभाग

(क) व्याख्यान थियेटर – मद संख्या क.15 के अनुसार

(ख) प्रदर्शन कक्ष – स्ट्रिप कुर्सियों, ओवरहैड प्रोजेक्टर, स्लाइड प्रोजेक्टर, टेलीविजन, विडियो और अन्य दृश्य–श्रव्य उपकरणों से लैस तीन प्रदर्शन कक्ष (75–75 वर्गमीटर के) होंगे ताकि कम से कम 60–75 छात्रों को स्थान उपलब्ध कराया जा सके।

(ग) विच्छेदन हाल – एक बार में कम से कम 200 छात्रों को स्थान उपलब्ध कराने हेतु एक विच्छेदन हाल (400 वर्गमीटर का) होगा। यह उचित प्रकाश–व्यवस्था सहित, एग्जास्ट पंखों सहित सुसंवातित और वरीयतः केंद्रीय रूप से वातानुकूलित होगा। छात्रों के लिए एक एंटे–रूम होगा, जिसमें लॉकर और दस वॉश बेसिन होंगे। हॉल में पर्याप्त अध्यापन उपकरण होंगे। इसके एक एम्बाल्मिंग रूम (12 वर्गमीटर के क्षेत्रफल वाला), 3 भंडारण टैंकों के लिए स्थान (एक 3 वर्ग मीटर का और दो 1.5–1.5 वर्गमीटर के) और 20–25 शवों के लिए स्थान (20 वर्गमीटर क्षेत्रफल वाला) सहित कोल्ड स्टोरेज रूम होगा।

(घ) अनुसंधान : अनुसंधान उद्देश्यों के लिए एक अनुसंधान प्रयोगशाला (50 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की) होगी।

(ड.) संग्रहालय : एम्ब्रियोलॉजिकल सेक्शनों, मॉडलों, स्कियाग्राम्स के लिए रिवॉल्विंग स्टैंडों, सीटी स्कैन, एमआरआई और सूखे नमूनों के उचित प्रदर्शन तथा भंडारण हेतु रैकों तथा शेल्वों सहित एक संग्रहालय (250 वर्ग मीटर का) उपलब्ध कराया जाएगा और ट्रॉली टेबलों, एक्स–रे व्यू बॉक्स मल्टीस्टैंड आकार के होंगे ताकि तीन बक्सों (200 छात्रों के लिए 3 व्यू बक्सों) के मानक आकार की चार प्लेटें ली जा सकें। संग्रहालय में अध्ययन करने हेतु 45 छात्रों के लिए बैठने का पर्याप्त स्थान उपलब्ध कराया जाएगा। मॉडल/ नमूनों को तैयार करने के लिए और कलाकारों तथा मॉडलरों के लिए दो संबद्ध कमरे (15–15 वर्ग मीटर के) होंगे।

(च) विभागीय पुस्तकालय :

एक विभागीय पुस्तकालय व संगोष्ठी कक्ष (30 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का) होगा, जिसमें कम से कम 80–100 पुस्तकें होंगी। तथापि, पुस्तकों की कुल संख्या की गणना करने के लिए किसी भी पुस्तक की दो प्रतियों से अधिक को नहीं गिना जाएगा।

1413 GI/10—2

(छ) **स्टाफ के लिए स्थान : स्टाफ के** लिए निम्नलिखित रूप में स्थान उपलब्ध कराया **जाएगा, नामतः**

1. प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष : 1 (एक कमरा) (18 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल वाला);
2. एसोसिएट प्रोफेसर/ रीडर : 2 (दो कमरे) (15–15 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल वाले);
3. सहायक प्रोफेसर/ व्याख्याता – 4 (चार कमरे) (12–12 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले);
4. ट्यूटर/ प्रदर्शक – 5 (20 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाला एक कमरा);
5. विभाग कार्यालय व लिपिकीय कक्ष – एक कमरा (12 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाला); और
6. गैर–अध्यापन स्टाफ के लिए कार्य करने का स्थान (12 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाला)

(2) शरीर–विज्ञान विभाग

(क) व्याख्यान थियेटर – मद संख्या क.1.5 के अनुसार

(ख) प्रदर्शन कक्ष – स्ट्रिप कुर्सियों, ओवरहैड प्रोजेक्टर, स्लाइड प्रोजेक्टर, टेलीविजन, विडियो और अन्य दृश्य–श्रव्य उपकरणों से लैस तीन प्रदर्शन कक्ष (75–75 वर्गमीटर के) होंगे ताकि कम से कम 60–75 छात्रों को स्थान उपलब्ध कराया जा सके।

(ग) प्रेक्टिकल के लिए कक्ष – 100 छात्रों को स्थान उपलब्ध कराने हेतु उपयुक्त स्थान सहित निम्नलिखित प्रयोगशालाएं उपलब्ध कराई जाएंगी:

(i) एम्फिबियन प्रयोगशाला (एक) – (250 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाली) उपलब्ध कराई जाएगी, जिनमें निरंतर काम करने के लिए मेजें उपलब्ध कराई जाएंगी। प्रत्येक सीट के साथ वरियतः स्टेनलेस स्टील का वाश बेसिन उपलब्ध कराया जाएगा। काम करने की प्रत्येक मेज के साथ एक ड्रावर, एक कपबोर्ड, एक बिजली का पाइंट होगा, जिसमें अग्नि और स्टीम प्रूफ टॉप होगा। एम्फिबियन प्रयोगशाला के साथ एक तैयारी कक्षा (14 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल वाला) उपलब्ध कराया जाएगा।

(ii) मम्मालियन प्रयोगशाला (एक) – (100 वर्गमीटर क्षेत्रफल वाली) उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें स्टेनलैस स्टील के टॉप तथा आपरेटिंग लाइट वाली आठ मेजें (2X0.6 मीटर) उपलब्ध कराई जाएंगी। प्रयोगशाला के साथ, इंस्ट्रूमेंट रैक, बड़े आकार के दो वाश बेसिन (स्टेनलैस स्टील के) और उपकरणों के भंडारण के लिए कपबोर्ड होगा। मम्मालियन प्रयोगशाला के साथ एक तैयारी कक्ष (14 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल वाला) उपलब्ध कराया जाएगा।

(iii) मानव प्रयोगशालाएं :

(क) रुधिर प्रयोगशाला – निरंतर कार्य करने **की मेजों सहित रुधिर** प्रयोगशाला (250 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाली) उपलब्ध **कराई जाएगी।** प्रत्येक सीट के साथ वरीयतः स्टेनलैस स्टील के वाश बेसिन **उपलब्ध** कराए जाएंगे। काम करने की प्रत्येक मेज में एक ड्रावर और एक कपबोर्ड, एक विद्युत पाइंट तथा अग्नि/ स्टीम प्रूफ टॉप होगा। इसमें प्रत्येक मेज पर बिजली के स्रोत की व्यवस्था शामिल है। इस प्रयोगशाला के साथ एक तैयारी कक्ष (14 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाला) उपलब्ध कराया जाएगा।

(ख) एक नैदानिक शरीर–विज्ञान प्रयोगशाला (120 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाली) होगी, जिसमें गद्दों और समायोजित किए जा सकने योग्य हैंड के सिरे सहित 12 मेजें (0.8 मीटर ऊंचाई की) उपलब्ध कराई जाएंगी।

(घ) विभागीय पुस्तकालय :

एक विभागीय पुस्तकालय व संगोष्ठी कक्ष (30 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का) होगा, जिसमें कम से कम 80–100 पुस्तकें होंगी। तथापि, पुस्तकों की कुल संख्या की गणना करने के लिए किसी भी पुस्तक की दो प्रतियों से अधिक को नहीं गिना जाएगा।

(ड.) अनुसंधान – अनुसंधान के उद्देश्यों के लिए एक अनुसंधान प्रयोगशाला (50 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाली) होगी।

(च) स्टाफ के लिए स्थान : स्टाफ के लिए निम्नलिखित रूप में स्थान उपलब्ध कराया जाएगा, नामतः

1. प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष : 1 (एक कमरा) (18 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल वाला);
2. एसोसिएट प्रोफेसर/ रीडर : 2 (दो कमरे) (15–15 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल वाले);
3. सहायक प्रोफेसर/ व्याख्याता – 4 (चार कमरे) (12–12 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले);
4. ट्यूटर/ प्रदर्शक – 5 (20 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाला एक कमरा);
5. विभाग कार्यालय व लिपिकीय कक्ष – एक कमरा (12 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाला); और
6. गैर–अध्यापन स्टाफ के लिए कार्य करने का स्थान (12 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाला)

(3) जीव–रसायन विज्ञान विभाग

(क) व्याख्यान थियेटर – मद संख्या क.1.5 के अनुसार

(ख) प्रदर्शन कक्ष – स्ट्रिप कुर्सियों, ओवरहैड प्रोजेक्टर, स्लाइड प्रोजेक्टर, टेलीविजन, विडियो और अन्य दृश्य–श्रव्य उपकरणों से लैस तीन प्रदर्शन कक्ष (75–75 वर्गमीटर के) होंगे ताकि कम से कम 60–75 छात्रों को स्थान उपलब्ध कराया जा सके।

(ग) एक विभागीय पुस्तकालय व संगोष्ठी कक्ष (30 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का) होगा, जिसमें कम से कम 80–100 पुस्तकें होगी। तथापि, पुस्तकों की कुल संख्या की गणना करने के लिए किसी भी पुस्तक की दो प्रतियों से अधिक को नहीं गिना जाएगा।

(घ) अनुसंधान – अनुसंधान के उद्देश्यों के लिए एक अनुसंधान प्रयोगशाला (50 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाली) होगी।

(ङ.) स्टाफ के लिए स्थान : स्टाफ के लिए निम्नलिखित रूप में स्थान उपलब्ध कराया जाएगा, नामतः

1. प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष : 1 (एक कमरा) (18 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल वाला);
2. एसोसिएट प्रोफेसर/ रीडर : 1 (एक कमरा) (15 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल वाला);
3. सहायक प्रोफेसर/ व्याख्याता – 3 (तीन कमरे) (20–20 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले);
4. ट्यूटर/ प्रदर्शक – 2 (12 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल वाले दो कमरे);
5. विभाग कार्यालय व लिपिकीय कक्ष – एक कमरा (12 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाला); और
6. गैर–अध्यापन स्टाफ के लिए कार्य करने का स्थान (12 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाला)।

(4) रोग–विज्ञान विभाग

(क) व्याख्यान थियेटर – मद संख्या क.1.5 के अनुसार

(ख) प्रदर्शन कक्ष – स्ट्रिप कुर्सियों, ओवरहैड प्रोजेक्टर, स्लाइड प्रोजेक्टर, टेलीविजन, विडियो और अन्य दृश्य–श्रव्य उपकरणों से लैस तीन प्रदर्शन कक्ष (75–75 वर्गमीटर के) होंगे ताकि कम से कम 60–75 छात्रों को स्थान उपलब्ध कराया जा सके।

(ग) संग्रहालय : संग्रहालय में कम से कम 60–75 छात्रों के बैठने की क्षमता के साथ नमूनों, चार्टों, मॉडलों के लिए एक संग्रहालय (120 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल वाला) होगा।

सभी नमूने चिपकाए जाएंगे और छात्रों द्वारा इस्तेमाल किए जाने के लिए कैटलॉग की कम से कम 10 प्रतियां चिपकाई जाएंगी। इसके अलावा, एक एंटे रूम होगा।

(घ) ओटोप्सी ब्लॉक – कोल्ड स्टोरेज की सुविधाओं, केडेवर्स के लिए एंटे–रूम्स, वॉशिंग सुविधाओं सहित 40–50 छात्रों को स्थान उपलब्ध कराने की क्षमता वाला प्रतीक्षा हाल और कार्यालय सहित एक ऑटोप्सी रूम (लगभग 450 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाला) होगा। शव गृह और ऑटोप्सी ब्लॉक का स्थान या तो अस्पताल में या अस्पताल के निकट एक अलग भवन में होना चाहिए और इसका इस्तेमाल फारेंसिक मेडिसिन विभाग द्वारा भी किया जाना चाहिए।

(ङ.) विभागीय पुस्तकालयः

एक विभागीय पुस्तकालय व संगोष्ठी कक्ष (30 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का) होगा, जिसमें कम से कम 80–100 पुस्तकें होंगी। तथापि, पुस्तकों की कुल संख्या की गणना करने के लिए किसी भी पुस्तक की दो प्रतियों से अधिक को नहीं गिना जाएगा।

(च) अनुसंधान – अनुसंधान के उद्देश्यों के लिए एक अनुसंधान प्रयोगशाला (50 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाली) होगी।

(छ) स्टाफ के लिए स्थान : स्टाफ के लिए निम्नलिखित रूप में स्थान उपलब्ध कराया जाएगा, नामतः

1. प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष : 1 (एक कमरा) (18 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल वाला);
2. एसोसिएट प्रोफेसर/ रीडर : 3 (तीन कमरे) (15–15 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल वाले);
3. सहायक प्रोफेसर/ व्याख्याता – 5 (पांच कमरे) (20–20 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले);
4. ट्यूटर/ प्रदर्शक – 7 (20-20 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले दो कमरे);
5. विभाग कार्यालय व लिपिकीय कक्ष – एक कमरा (12 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाला); और
6. गैर–अध्यापन स्टाफ के लिए कार्य करने का स्थान (12 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाला)।

(ज) रक्त बैंक

एक वातानुकूलित रक्त बैंक (100 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल वाला) होगा और इसमें निम्नलिखित शामिल होंगेः

(क) पंजीकरण तथा चिकित्सा परीक्षण कक्ष और रक्तदाताओं का चयन कक्ष, जिसमें उपयुक्त फर्नीचर और सुविधाएं उपलब्ध हों;

(ख) रक्त संग्रहण कक्ष;

(ग) रक्त समूह सिरोलॉजी के लिए प्रयोगशाला हेतु कक्ष;

(घ) हेपाटाइटिस, सिफलिस, मलेरिया, एचआईवी एंटीबॉडीज आदि जैसे संक्रमणशील रोगों के लिए प्रयोगशाला हेतु कक्ष;

(ड.) निष्कीटन एवं वॉशिंग रूम;

(च) अल्पाहार कक्ष; और

(ज) स्टोर तथा रिकार्ड रूम।

समय–समय पर संशोधित ड्रग एवं कॉस्मेटिक नियमावली, 1945 की अनुसूची च के भाग XII–बी में यथाविनिर्धारित उपस्कर और सहायक उपकरण आदि उपलब्ध कराए जाएंगे।

(5) सूक्ष्म जीव–विज्ञान विभाग

(क) व्याख्यान थियेटर – मद संख्या क.1.5 के अनुसार

(ख) प्रदर्शन कक्ष – रिट्रप कुर्सियों, ओवरहैड प्रोजेक्टर, स्लाइड प्रोजेक्टर, टेलीविजन, विडियो और अन्य दृश्य–श्रव्य उपकरणों से लैस तीन प्रदर्शन कक्ष (75–75 वर्ग मीटर के) होंगे ताकि कम से कम 60–75 छात्रों को स्थान उपलब्ध कराया जा सके।

(ग) संग्रहालय:- कम से कम 50 छात्रों के बैठने की क्षमता के साथ नमूनों, चार्टों, मॉडलों के लिए एक संग्रहालय (100 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल वाला) होगा। सभी नमूने चिपकाए जाएंगे और छात्रों द्वारा इस्तेमाल किए जाने के लिए कैटलॉग की कम से कम 20 प्रतियां उपलब्ध कराई जाएंगी।

(घ) विभागीय पुस्तकालय

एक विभागीय पुस्तकालय व संगोष्ठी कक्ष (30 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का) होगा, जिसमें कम से कम 80–100 पुस्तकें होंगी। तथापि, पुस्तकों की कुल संख्या की गणना करने के लिए किसी भी पुस्तक की दो प्रतियों से अधिक को नहीं गिना जाएगा।

(ड.) अनुसंधान – अनुसंधान के उद्देश्यों के लिए एक अनुसंधान प्रयोगशाला (50 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाली) होगी।

(च) स्टाफ के लिए स्थान : स्टाफ के लिए निम्नलिखित रूप में स्थान उपलब्ध कराया जाएगा, नामतः

1. प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष : 1 (एक कमरा) (18 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल वाला);
2. एसोसिएट प्रोफेसर/ रीडर : 2 (दो कमरे) (15–15 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल वाले);
3. सहायक प्रोफेसर/ व्याख्याता - 3 (तीन कमरे) (20–20 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले);

4. ट्यूटर/ प्रदर्शक – 5 (20-20 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले दो कमरे);
5. विभाग कार्यालय व लिपिकीय कक्ष – एक कमरा (12 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाला); और
6. गैर–अध्यापन स्टाफ के लिए कार्य करने का स्थान (12 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाला)।

(6) औषध–विज्ञान विभाग

(क) व्याख्यान थियेटर – मद संख्या क.1.5 के अनुसार

(ख) प्रदर्शन कक्ष – स्ट्रिप कुर्सियों, ओवरहैड प्रोजेक्टर, स्लाइड प्रोजेक्टर, टेलीविजन, विडियो और अन्य दृश्य–श्रव्य उपकरणों से लैस तीन प्रदर्शन कक्ष (75–75 वर्गमीटर के) होंगे ताकि कम से कम 60–75 छात्रों को स्थान उपलब्ध कराया जा सके।

(ग) प्रेक्टिकल प्रयोगशालाएं – निम्नलिखित हेतु 100–125 छात्रों के लिए स्थान वाली एक प्रेक्टिकल प्रयोगशाला होगी, नामतः

(i) धूम्रपान और किमोग्राफ पेपरों की वारनिशिंग के लिए एंटे रूम (14 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल वाला) सहित प्रायोगिक फार्माकोलोजी (250 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल वाला)।

(घ) संग्रहालय – कम से कम 50 छात्रों के बैठने की क्षमता के साथ नमूनों, चार्टों, मॉडलों के लिए एक संग्रहालय (150 वर्ग मीटर) के क्षेत्रफल वाला होगा, जिसमें एक अलग सेक्शन हो, जिसमें "मेडिसिन का इतिहास" दर्शाया गया हो। सभी नमूने चिपकाए जाएंगे और छात्रों द्वारा इस्तेमाल किए जाने के लिए कैटलॉग की कम से कम 20 प्रतियां उपलब्ध कराई जाएंगी।

(ङ.) विभागीय पुस्तकालय – एक विभागीय पुस्तकालय व संगोष्ठी कक्ष (30 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का) होगा, जिसमें कम से कम 80–100 पुस्तकें होगी। तथापि, पुस्तकों की कुल संख्या की गणना करने के लिए किसी भी पुस्तक की दो प्रतियों से अधिक को नहीं गिना जाएगा।

(च) अनुसंधान – अनुसंधान के उद्देश्यों के लिए एक अनुसंधान प्रयोगशाला (50 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाली) होगी।

(छ) स्टाफ के लिए स्थान : स्टाफ के लिए निम्नलिखित रूप में स्थान उपलब्ध कराया जाएगा, नामतः

1. प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष : 1 (एक कमरा) (18 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल वाला);
2. एसोसिएट प्रोफेसर/ रीडर : 2 (तीन कमरे) (15–15 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल वाले);
3. सहायक प्रोफेसर/ व्याख्याता – 3 (एक कमरा) (20–20 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाला);

4. ट्यूटर/ प्रदर्शक – 4 (20 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाला एक कमरा);
5. विभाग कार्यालय व लिपिकीय कक्ष – एक कमरा (12 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाला); और
6. गैर–अध्यापन स्टाफ के लिए कार्य करने का स्थान (12 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाला)।

(7) विषविज्ञान सहित फोरेंसिक मेडिसिन विभाग

(क) व्याख्यान थियेटर – मद संख्या क.1.5 के अनुसार

(ख) प्रदर्शन कक्ष – स्ट्रिप कुर्सियों, ओवरहैड प्रोजेक्टर, स्लाइड प्रोजेक्टर, टेलीविजन, विडियो और अन्य दृश्य–श्रव्य उपकरणों से लैस तीन प्रदर्शन कक्ष (75–75 वर्गमीटर के) होंगे ताकि कम से कम 60–75 छात्रों को स्थान उपलब्ध कराया जा सके।

(ग) चिकित्सा–विधिक नमूनों, चार्टों, मॉडलों, शस्त्रों के नमूने, मोम के मॉडलों, स्लाइडों, विष, फोटोग्राफों आदि का प्रदर्शन करने के लिए एक संग्रहालय (200 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल वाला) होगा, जिसमें 60–75 छात्रों के लिए बैठने की व्यवस्था होगी। सभी नमूने चिपकाए जाएंगे और छात्रों द्वारा इस्तेमाल किए जाने के लिए कैटलॉग की कम से कम 20 प्रतियां उपलब्ध कराई जाएंगी।

(घ) नमूनों के परीक्षण, टेस्ट और फोरेंसिक हिस्टोपैथोलॉजी, सिरोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी और विषविज्ञान के लिए एक प्रयोगशाला (250 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाली) होगी।

(ङ.) ओटोप्सी ब्लॉक – कोल्ड स्टोरेज की सुविधाओं, केडेवर्स के लिए एंटे–रूम्स, वॉशिंग सुविधाओं सहित 60–75 छात्रों को स्थान उपलब्ध कराने की क्षमता वाला प्रतीक्षा हाल और कार्यालय सहित एक ऑटोप्सी रूम (लगभग 450 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाला) होगा। शव गृह और ऑटोप्सी ब्लॉक का स्थान या तो अस्पताल में या अस्पताल के निकट एक अलग भवन में होना चाहिए और इसका इस्तेमाल फारेंसिक मेडिसिन विभाग द्वारा भी किया जाना चाहिए।

(च) विभागीय पुस्तकालय – एक विभागीय पुस्तकालय व संगोष्ठी कक्ष (30 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का) होगा, जिसमें कम से कम 80–100 पुस्तकें होगी। तथापि, पुस्तकों की कुल संख्या की गणना करने के लिए किसी भी पुस्तक की दो प्रतियों से अधिक को नहीं गिना जाएगा।

(छ) अनुसंधान – अनुसंधान के उद्देश्यों के लिए एक अनुसंधान प्रयोगशाला (50 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाली) होगी।

(ज) स्टाफ के लिए स्थान : स्टाफ के लिए निम्नलिखित रूप में स्थान उपलब्ध कराया जाएगा, नामतः

1. प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष : 1 (एक कमरा) (18 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल वाला);
2. एसोसिएट प्रोफेसर/रीडर : 1 (एक कमरा) (15 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल वाला);

3. सहायक प्रोफेसर/ व्याख्याता – 3 (तीन कमरे) (20–20 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले);
4. ट्यूटर/ प्रदर्शक – 4 (20 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाला एक कमरा);
5. विभाग कार्यालय व लिपिकीय कक्ष – एक कमरा (12 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाला); और
6. गैर–अध्यापन स्टाफ के लिए कार्य करने का स्थान (12 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाला)।

(8) कम्युनिटी मेडिसिन विभाग

(क) व्याख्यान थियेटर – मद संख्या क.1.5 के अनुसार

(ख) प्रदर्शन कक्ष – स्ट्रिप कुर्सियों, ओवरहैड प्रोजेक्टर, स्लाइड प्रोजेक्टर, टेलीविजन, विडियो और अन्य दृश्य–श्रव्य उपकरणों से लैस तीन प्रदर्शन कक्ष (75–75 वर्गमीटर के) होंगे ताकि कम से कम 60–75 छात्रों को स्थान उपलब्ध कराया जा सके।

(ग) संग्रहालय – मॉडलों, चार्टों, नमूनों और संक्रमणशील रोगों, सामुदायिक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण नियोजन, जीव–सांख्यिकी, सामाजिक विज्ञान, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों और पर्यावरणीय स्वच्छता आदि से संबंधित अन्य सामग्री प्रदर्शित करने के लिए एक संग्रहालय (150 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल वाला) होगा।

(घ) विभागीय पुस्तकालय – एक विभागीय पुस्तकालय व संगोष्ठी कक्ष (30 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का) होगा, जिसमें कम से कम 80–100 पुस्तकें होंगी। तथापि, पुस्तकों की कुल संख्या की गणना करने के लिए किसी भी पुस्तक की दो प्रतियों से अधिक को नहीं गिना जाएगा।

(ङ.) अनुसंधान – अनुसंधान के उद्देश्यों के लिए एक अनुसंधान प्रयोगशाला (50 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाली) होगी।

(च) स्टाफ के लिए स्थान : स्टाफ के लिए निम्नलिखित रूप में स्थान उपलब्ध कराया जाएगा, नामतः

1. प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष : 1 (एक कमरा) (18 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल वाला);
2. एसोसिएट प्रोफेसर/ रीडर : 2 (दो कमरे) (15–15 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल वाले);
3. सहायक प्रोफेसर/ व्याख्याता – 4 (चार कमरे) (12–12 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले);
4. सांख्यिकीविद व व्याख्याता – एक कमरा (12 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाला);
5. महामारी विशेषज्ञ व व्याख्याता – एक कमरा (12 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाला);

6. ट्यूटर/ प्रदर्शक – 5 (20-20 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले दो कमरे);
7. विभाग कार्यालय व लिपिकीय कक्ष – एक कमरा (12 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाला); और
8 गैर–अध्यापन स्टाफ के लिए कार्य करने का स्थान (12 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाला)।

(छ) प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र/ ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र :

प्रत्येक मेडिकल कालेज में, समुदायोन्मुखी प्राथमिक स्वास्थ्य सुरक्षा और इससे सम्बद्ध ग्रामीण समुदाय के लिए ग्रामीण आधारित स्वास्थ्य शिक्षा में छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए तीन गामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र होंगे। इनमें से एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मेडिकल कालेज से 30 कि.मी. की दूरी के अंदर या एक घंटे की यात्रा की दूरी के अंदर होगा। छात्रों और छात्राओं तथा आवासी डाक्टरों के लिए मैस की सुविधाओं के साथ अलग–अलग आवासीय व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। ये सुविधाएं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों/ ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्रों में से कम से कम एक केंद्र में उपलब्ध कराई जाएंगी। ये केंद्र मेडिकल कॉलेज के संपूर्ण प्रशासनिक प्राधिकार में होंगे। फील्ड कार्य और अध्यापन तथा प्रशिक्षण क्रियाकलाप चलाने के लिए कम्युनिटी मेडिसिन और विभागों द्वारा पर्याप्त परिवहन व्यवस्था (स्टाफ और छात्रों दोनों के लिए) उपलब्ध कराई जाएगी।

(ज) शहरी स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र : यह केंद्र कम्युनिटी मेडिसिन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में होगा। स्टाफ और छात्रों को आने–जाने के लिए पर्याप्त परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

ख. अध्यापन अस्पताल

ख.1 सामान्य अभ्युक्तियां

ख.1.1 कम से कम 70 प्रतिशत अंतरंग बिस्तर आक्युपेंसी के साथ 750 बिस्तरों वाला एक कार्यात्मक अध्यापन अस्पताल उपलब्ध होना चाहिए। पहले नवीकरण और इसके पश्चात् बाद के नवीकरणों के लिए, निरीक्षण के समय 80 प्रतिशत आक्युपेंसी होनी चाहिए।

अनुमति–पत्र के समय अस्पताल में मरीजों के लिए लिफ्ट और अग्नि सुरक्षात्मक सेवाओं तथा विकलांग व्यक्तियों के लिए रैम्प उपलब्ध कराया जाएगा। कम से कम

700 केवीए का एक इलेक्ट्रिक जनरेटर उपलब्ध कराया जाएगा। बाल मरीजों के लिए टी वी, संगीत, खिलौनों, पुस्तकों आदि सहित क्रीड़ा क्षेत्र उपलब्ध कराया जाएगा। सभी अध्यापन अस्पताल, डीन/प्रधानाचार्य/निदेशक के अकादमिक, प्रशासनिक और अनुशासनिक नियंत्रण में होंगे, जो इसके साथ–साथ विभागाध्यक्ष नहीं होगे परंतु संबंधित विभाग में अध्यापन संकाय का एक भाग हो सकते हैं।

ख.1.2 डीन (36 वर्ग मीटर) और चिकित्सा अधीक्षक (36 वर्ग मीटर), अस्पताल कार्यालय के लिए तथा प्रत्येक विभाग में कंप्यूटर और इंटरनेट सुविधा के साथ आगंतुकों के लिए प्रतीक्षा स्थान, सहायक स्टाफ, मेडिसिन अधीक्षक के कमरे और कार्यालय के लिए स्थान उपलब्ध कराया जाएगा। निम्नलिखित के लिए भी स्थान उपलब्ध कराया जाना चाहिए:

(क) पूछताछ कार्यालय

(ख) सार्वजनिक टेलीफोन, मरीजों और आगंतुकों के लिए प्रतीक्षा स्थान, पेय जल सुविधा और निकट ही प्रसाधन सुविधाओं सहित स्वागत कक्ष (500 वर्ग मीटर)।

(ग) भंडारण के कमरे।

(घ) केंद्रीय मेडिकल रिकार्ड अनुभाग (300 वर्ग मीटर)

(ङ.) छालटी कक्ष

(च) अस्पताल और स्टाफ सम्मेलन कक्ष (100 वर्ग मीटर)

ख.1.3 250 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता वाला गैलरी के प्रकार का एक केंद्रीय व्याख्यान थियेटर और मेडिकल कॉलेज/ संस्थान में उपलब्ध दृश्य–श्रव्य उपकरणों के अलावा, अस्पताल में श्रव्य–दृश्य उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे।

ख.1.4 कंप्यूटर सुविधाओं के साथ केंद्रीय पंजीकरण एवं सांख्यिकी विभाग उपलब्ध कराया जाएगा।

ख.1.5 बेहतर सेवा, समन्वय और मरीजों की देखभाल के लिए विभिन्न अनुभागों, अस्पतालों और कॉलेज के बीच पेजिंग तथा ब्लीप प्रणाली सहित इंटरकॉम नेटवर्क उपलब्ध कराया जाएगा।

ख.1.6 अंतरंग डाक्टरों, कनिष्ठ आवासी डाक्टरों और वरिष्ठ आवासी डाक्टरों आदि के लिए अस्पताल के परिसर में आवासीय स्थान उपलब्ध कराया जाएगा।

ख.1.7 अनुमति–पत्र के संमय, स्नातक–पूर्व पाठ्यक्रम के विषयों में छात्रों के प्रवेश लेने के उद्देश्य के लिए, बहिरंग रोगी विभाग (ओ पी डी) में न्यूनतम उपस्थिति, 4 मरीज (पुराने और नए) प्रतिदिन प्रति छात्र इनटेक होगी। इनमें इस तरीके से वृद्धि की जानी चाहिए कि चौथे वर्ष के अंत में यह उपस्थिति 8 मरीज (पुराने और नए) प्रतिदिन प्रति छात्र इनटेक हो जाए।

ख.1.8 अंतरंग बिस्तर आक्युपेंसी – अंतरंग बिस्तरों की आक्युपेंसी का औसत न्यूनतम 80 प्रतिशत प्रति वर्ष होगा।

ख.1.9 अस्पताल में नैदानिक विभाग

बिस्तरों और इकाइयों की आवश्यकता:

प्रति वर्ष 200 दाखिलों के लिए अपेक्षित बिस्तरों की संख्या 1000 है। नैदानिक अध्यापन के उद्देश्य के लिए उन्हें निम्नलिखित रूप से विभाजित किया जा सकता है, नामत:

(i) मेडिसिन और संबद्ध विशेषज्ञताएं

		अपेक्षित बिस्तरों और इकाइयों की संख्या
1.	जनरल मेडिसिन	240/8
2.	बालरोग	120/4
3.	तपेदिक और श्वसनी रोग	30/1
4.	त्वचा, रतिरोग एवं कुष्ठरोग	20/1
5.	मनश्चिकित्सा	20/1
		430

टिप्पणी: (1) उपकरणों से लैस और अद्यतन गहन चिकित्सा इकाई (आईसीयू), गहन हृदय देखभाल यूनिट (आईसीसीयू), गहन बाल चिकित्सा बिस्तर और वरीयत: तपेदिक एवं श्वसनी रोग विभाग में सघन चिकित्सा इकाई होगी।

(2) जहां संभव हो, अपेक्षाकृत बड़े, तपेदिक एवं वक्ष रोग अस्पतालों, संक्रामक रोग अस्पतालों और मानसिक रोग अस्पतालों में उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग इन विशेषज्ञताओं में प्रशिक्षण के लिए किया जा सकता है। तथापि, यदि ये अस्पताल मेडिकल कॉलेज के संपूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण में नहीं हैं तो इन विशेषज्ञताओं में अपेक्षित बिस्तरे संबद्ध अध्यापन अस्पताल में ही उपलब्ध कराने होंगे।

(ii) शल्य–चिकित्सा और संबद्ध विशेषज्ञताएं

		अपेक्षित बिस्तरों और इकाइयों की संख्या
1.	सामान्य शल्य–चिकित्सा	240/8
2.	विकलांग विज्ञान विभाग	120/4
3.	नेत्रविज्ञान विभाग	60/2
4.	नाक–कान–गला विज्ञान विभाग	30/1
		450

टिप्पणी : उपकरणों से लैस और सघन चिकित्सा बर्न इकाई और सर्जिकल पोस्ट आपरेटिव क्रिटिकल केयर इकाई होगी।

(iii) प्रसूति एवं स्त्रीरोग–विज्ञान

		अपेक्षित बिस्तरों और इकाइयों की संख्या
1.	प्रसूति	65
2.	स्त्रीरोग विज्ञान	45
3.	शव–परीक्षण	10
		120/4
(iv)	**सकल जोड़**	**1000**

टिप्पणी : (1) अति विशेषज्ञता विकसित किए जाने की स्थिति में यह आवश्यक होगा कि स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियमावली, 2000 के उपबंधों के अनुसार ऊपर उल्लिखित न्यूनतम शर्तों के अलावा अतिरिक्त बिस्तरे और अतिरिक्त स्टाफ उपलब्ध कराए जाएं।

(2) मरीजों की संख्या पर निर्भर करते हुए, किसी विशेषज्ञता में अध्यापन अस्पताल अतिरिक्त बिस्तरे उपलब्ध करा सकता है।

ख.1.10 डीन, चिकित्सा अधीक्षक और प्रत्येक विभाग के पास स्वतंत्र कंप्यूटर और प्रिंटर की सुविधा होगी ।

ख.1.11 प्रत्येक कालेज/संस्थान की अपनी वेबसाइट होगी, जिसमें प्रत्येक महीने के पहले सप्ताह में अद्यतन किए गए निम्नलिखित ब्योरे उपलब्ध कराए जाएंगे:

(क) डीन, प्रधानाचार्य और चिकित्सा अधीक्षक के ब्योरे जिनमें उनके नाम, शैक्षिक योग्यता, दूरभाष और एस टी डी कोड, फैक्स तथा ई–मेल आदि सहित पूरा पता शामिल है।

(ख) अध्यापन और गैर–अध्यापन स्टाफ।

(ग) भा.आ.प. द्वारा स्वीकृत की गई विभिन्न स्नातक–पूर्व और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की प्रवेश क्षमता के ब्योरे।

(घ) वर्तमान और पिछले वर्ष के लिए दाखिल किए गए छात्रों की मेरिट–वार, श्रेणी–वार (स्नातक–पूर्व और स्नातकोत्तर) सूची।

(ङ) पिछले एक वर्ष के दौरान कोई अनुसंधान प्रकाशन।

(च) संस्थान द्वारा चलाए गए कोई सीएमई कार्यक्रमों, सम्मेलनों और/या किसी अकादमिक क्रियाकलाप के ब्योरे।

(छ) छात्रों या संकाय सदस्य द्वारा प्राप्त किए गए किन्हीं पुरस्कारों और उपलब्धियों के ब्योरे।

(ज) सम्बद्ध विश्वविद्यालय और उसके कुलपति तथा रजिस्ट्रारों के ब्योरे।

(झ) पिछले एक वर्ष की सभी परीक्षाओं के परिणाम।

(ञ) सभी पाठ्यक्रमों की मान्यता की ब्योरे–वार स्थिति।

(ट) अस्पताल में नैदानिक सामग्री के ब्योरे।

(ठ) मेडिकल कॉलेज/ संस्थानों में रैगिंग की रोकथाम एवं निषेध विनियमावली, 2009 के अनुसार रैगिंग की बुराई को समाप्त करने हेतु किए गए उपाय।

ख.2 नैदानिक विभाग – अंतरंग

ख.2.1 प्रत्येक वार्ड में निम्नलिखित स्थान उपलब्ध कराया जाएगा, नामतः

1. किसी जनरल वार्ड में अधिक से अधिक 30 मरीजों के लिए स्थान होगा और दो बिस्तरों के बीच का फासला 1.5 मीटर से कम नहीं होगा।
2. नर्सों का ड्यूटी रूम/नर्सिंग स्टेशन।
3. वार्ड का निर्माण इस तरीके से किया जाना चाहिए कि नर्स अपने नर्सिंग स्टेशन से वार्ड के सभी मरीजों का पर्यावलोकन कर सकें।

4. जांच और उपचार कक्ष।
5. वार्ड का रसोई–भंडार।
6. छालटी और अन्य उपकरणों के लिए भंडार कक्ष ।
7. आवासी डाक्टरों और छात्रों का ड्यूटी रूम ।
8. नैदानिक प्रदर्शन कक्ष

ख.2.2 प्रत्येक विभाग के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त स्थान उपलब्ध कराया जाएगा:

1. विभागाध्यक्षों और इकाई प्रमुखों के लिए कार्यालय।
2. इकाई के अन्य स्टाफ के लिए स्थान।
3. नैदानिक प्रदर्शन कक्ष (प्रत्येक विभाग के लिए कम से कम एक)।

टिप्पणी: स्टाफ रूमों का आकार और संख्या, किसी विभाग में स्टाफ के सदस्यों की निर्धारित संख्या के लिए "प्रि और पारा" नैदानिक विभागों में दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार होगी ।

ख.2.3 आपरेशन थियेटर इकाई:

आपरेशन थियेटर इकाई में निम्नलिखित सुविधाएं होंगी, नामतः–

1. मरीजों के लिए प्रतीक्षा कक्ष
2. संचेतनहर–पूर्व/ तैयारी कक्ष – कम से कम चार बिस्तरे
3. आपरेशन थियेटर
4. आपरेशन के पश्चात रिकवरी रूम (न्यूनतम 15 बिस्तरे)
5. सॉयल्ड **छालटी** कक्ष
6. उपकरण कक्ष
7. निष्कीटन कक्ष
8. नर्स कक्ष
9. सर्जन और संचेतनाहर विशेषज्ञ कक्ष (पुरुष और महिलाओं के लिए अलग–अलग)
10. सहायक कक्ष
11. छात्रों के लिए प्रेक्षण दीर्घा
12. भंडार कक्ष
13. शल्य–चिकित्सकों और सहायकों के लिए वॉशिंग कक्ष, और
14. छात्रों का वाशिंग अप और ड्रेसिंग अप कक्ष

सामान्य शल्य–चिकित्सा के लिए इस प्रकार की चार इकाइयां – एक ईएनटी के लिए, एक विकलांगविज्ञान के लिए, एक नेत्ररोग के लिए और दो प्रसूति एवं स्त्रीरोग के लिए तथा एक सेप्टिक रोगियों के लिए, उपलब्ध कराई जाये।

अन्य सर्जिकल विशेषज्ञताओं में स्वतंत्र अलग आपरेशन थियेटर होगा।

विभिन्न एंडोस्कोपी प्रक्रियाओं के लिए अतिरिक्त स्थान उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता है।

लघु आपरेशन थिएटर – उपरोक्त के अलावा, आकस्मिकता/आपातकाल इकाई में शल्य–चिकित्सा विभागों के लिए एक लघु आपरेशन थिएटर और बहिरंग रोगी विभाग में इसी प्रकार का एक आपरेशन थिएटर उपलब्ध कराया जाएगा।

ख.2.4 केंद्रीय निष्कीटन सेवाएं

एक स्वतंत्र केंद्रीय निष्कीटन इकाई होगी, जो आपरेशन थियेएटर ब्लॉक में या उसके निकट आपरेशन थियेटरों, प्रयोगशालाओं के संपूर्ण भाग वहन करने में सक्षम होगी। इसमें पर्याप्त उपकरण होंगे जैसे अनिर्धारित सामग्री लोड करने के लिए अलग–अलग सिरों के साथ बल्क स्टरलाइजर, अनलोडिंग स्टराइल, कोल्ड स्टराइल, एथीलिन ऑक्साइड स्टराइल, फ्रीओम एथिलीन उपकरण और मैटेरस स्टरलाइज, स्टराइल रैक, मिक्सर और उपकरणों के लिए ट्रे।

यह विभाग 24 घंटे काम करेगा और सभी सामग्रियां, उपकरण, ट्रे और ड्रेसिंग सामग्री आदि की आपूर्ति 24 घंटे की जाएगी।

ख.2.5 धोबीखाना

केंद्रीय यांत्रिक धोबीखाने में बल्क वाशिंग मशीन हाइड्रो–एक्सट्रेक्टर, फ्लैट रोलिंग मशीन उपलब्ध कराई जाएंगी। अस्पताल के **छालटी** की लौंडरी के कार्य से दो मौलिक उद्देश्य प्राप्त होंगे, नामतः सफाई और निष्कीटन। अस्पताल में सुखाने, प्रेस करने और सॉयल्ड तथा साफ किए गए लिनेंट्स को स्टोर करने की आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं। धुलाई के उपकरण रखने के लिए परिसर में ही भौतिक सुविधाएं

उपलब्ध कराई जाएंगी। तथापि यह सेवाएं किसी एजेंसी को सौंपी जा सकती हैं, परंतु अस्पताल प्रशासक के समग्र पर्यवेक्षण में।

ख.2.6 रेडियो–निदान विभाग

(1) रेडियो निदान विभाग का स्टाफ, बी ए आर सी की वैयक्तिक मानीटरिंग प्रणाली के अंतर्गत कवर किया जाएगा। निम्नलिखित के लिए स्थान उपलब्ध कराया जाएगा, नामतः

क. 300 एम ए, 500 एम ए, 600 एम ए आई आई टी वी प्रणाली, फ्लूरोस्कापी प्रणाली के लिए कमरा (36 वर्ग मीटर)

ख. अल्ट्रासाउंड कक्ष (15 वर्ग मीटर)

ग. 60 एम ए मोबाइल एक्सरे प्रणाली के लिए कमरा (15 वर्ग मीटर)

घ. सीटी स्कैन प्रणाली के लिए स्थान। इसमें तीन उपकरण कमरे होंगे (जॉच कक्ष, नियंत्रण कक्ष और कंप्यूटर कक्ष)। इसके अलावा, इलैक्ट्रिकल पैनलों, यूपीएस और सर्वो स्टेबीलिलाइजर के लिए सेवा कक्ष उपलब्ध कराया जाएगा। कुल अपेक्षित क्षेत्रफल 80 वर्ग मीटर होगा।

ड. वरियतः एक मेग्नेटिक रिसोनेंस इमेजिंग (एमआरआई) प्रणाली होगी। स्थान की आवश्यकता, मानक विनिर्देशनों के अनुसार होगी।

च. एक्सरे फिल्मों से संबंधित सामग्री के लिए भंडार कक्ष (15 वर्ग मीटर)

छ. संग्रहालय (25 वर्ग मीटर)

ज. मरीजों के लिए प्रतीक्षा कक्ष, पूछताछ कार्यालय और प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, एसोसिएट प्रोफसरों, सहायक प्रोफेसरों, आवासी डाक्टरों, ट्यूटरों के लिए स्टाफ रूम, आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध कराए जाएंगे।

झ. प्रदर्शन कक्ष के लिए स्थान उपलब्ध कराया जाएगा।

(2) विभिन्न नैदानिक प्रतिबिम्बन प्रणालियों के लिए कमरों के आकार, अणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड सुरक्षा कोड के निम्नलिखित उपबंध के अनुसार होंगे, नामतः

एक्स–रे उपकरण रखे जाने वाले कमरे का आकार, सामान्य उद्देश्य वाली एक्स–रे मशीन के लिए 25 वर्ग मीटर से कम नहीं होना चाहिए। 125 के वी या इससे ऊपर प्रचालन किए जा रहे नैदानिक एक्सरे उपकरण के मामले में, नियंत्रण पैनल की स्थापना बाहर स्थित अलग नियंत्रण कक्ष में की जानी चाहिए, परंतु यह एक्सरे कक्ष के पास ही होना चाहिए। फ्लूरोस्कोपी उपकरण रखे जाने वाले कमरों का डिजाइन इस प्रकार किया जाना चाहिए कि जब कभी आवश्यकता हो, पर्याप्त अंधेरा आसानी से प्राप्त

किया जा सकता हो। मरीजों का प्रतीक्षा क्षेत्र, एक्सरे–कक्ष के बाहर उपलब्ध कराया जाना चाहिए और एक डार्क रूम उपलब्ध कराया जाना चाहिए

ख.2.7 संचेतनाहर–विज्ञान विभाग

जहां तक संभव हो, निम्नलिखित स्थान के अलावा उस ब्लॉक में ही आपरेशन थियेटरों में ड्यूटी पर तैनात स्टाफ के लिए संचेतनाहर विभाग हेतु स्थान उपलब्ध कराया जाएगा, नामतः

1. विभागध्यक्ष या इकाई प्रमुख के कार्यालय;
2. अन्य इकाई के स्टाफ के लिए स्थान;
3. नैदानिक प्रदर्शन कक्ष (प्रत्येक विभाग के लिए कम से कम एक); और
4. 50 छात्रों के बैठने की क्षमता वाला विभागीय पुस्तकालय व संगोष्ठी कक्ष (30 वर्ग मीटर)।

वैकल्पिक विभाग

ख.2.8 विकिरण चिकित्सा विभाग

विभाग की योजना इस प्रकार बनाए जाने की आवश्यकता है कि अस्पताल के सामान्य कॉरिडोरों के जरिए रेडिया–एक्टिव स्रोतों का संचलन कम से कम हो। इसलिए यह वांछनीय है कि बहिरंग रोगी विंग, उपचार विंग, डोजिमेटरी/ आयोजना उपकरण, वार्ड, आपरेशन थियेटर और अन्य सुविधाएं उसी ब्लॉक में उपलब्ध हों, चाहे ये दो मंजिलों पर ही हों। इसे बाकी अस्पताल के साथ भी निकटता से जोड़ा जाना चाहिए ताकि मरीजों के बहुविध प्रबंधन के लिए विभिन्न विधाओं के संकाय सदस्यों के बीच मुक्त विचार–विमर्श में सुविधा प्राप्त हो सके। टेलीथेरेपी इकाई (100 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल वाली), इंटरा केविटरी उपचार कक्ष (50 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल वाला), अंतरायली, एंडोकेविटरी, सरफेस मोल्ड थेरेपी कक्ष (50 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल वाला), योजना कक्ष (50 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल वाला), मेटलिंग उपचार आयोजना उपकरणों के लिए कक्ष, मोल्ड कक्ष (50 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल वाला), रिकार्ड कक्ष (100 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल वाला), मेडिकल फिजिक्स प्रयोगशाला (50 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल वाला), बहिरंग रोगी प्रतीक्षा कक्ष (200 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल वाला), अंतरंग बिस्तरे (कम से कम 30 बिस्तरे और अलग वार्ड) (200 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल वाला), अल्पकालिक किमोथेरेपी/ रेडियोथेरेपी प्रक्रियाओं आदि के लिए दिवा देखभाल वार्ड (70 वर्ग मीटर

के क्षेत्रफल वाला) के लिए अलग–अलग कक्ष उपलब्ध कराए जाने चाहिएं। न्यूनतम फर्शीय क्षेत्रफल 2000–2500 वर्ग मीटर होगा। पूरे विभाग के संपूर्ण ले–आउट के साथ विकिरण थेरेपी कक्षों/ योजना का पूर्व बीएआरसी अनुमोदन अनिवार्य है।

ख.2.9 भौतिक मेडिसिन एवं पुनर्वास विभाग

प्रोफेसर, अन्य तकनीकी स्टाफ, पैरा–मेडिकल कार्मिकों और गैर–चिकित्सीय स्टाफ के लिए स्थान (2500 वर्ग मीटर), मूल्यांकन कक्ष, फिजियोथेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी, हाइड्रोथेरेपी, आक्युपेशनल थेरेपी, वाणी थेरेपी के लिए यथासंभव अलग–अलग स्थान उपलब्ध कराए जाएंगे।

ख.3 नैदानिक विभाग – बहिरंग

ख.3.1 निम्नलिखित के लिए स्थान उपलब्ध कराया जाएगा:

1. मरीजों और परिचारकों के लिए प्रतीक्षा/ स्वागत कक्ष के लिए स्थान
2. पूछताछ एवं रिकार्ड कक्ष
3. चार परीक्षण कक्ष (क्यूबिकल्स) और उनके अनुभागों के साथ स्वतः पूर्ण ब्लॉकों में बहिरंग रोगियों हेतु प्रत्येक विभाग के लिए मामला प्रदर्शन कक्ष उपलब्ध कराए जाएंगे। बहिरंग रोगी विभाग में प्रत्येक नैदानिक इकाई में परीक्षण क्युबिकल्स उपलब्ध कराए जाएंगे।
4. औषधालय।
5. नीचे उल्लिखित विभागों में निम्नलिखित स्थान उपलब्ध कराया जाएगा:

   (क) शल्य–चिकित्सा और इसकी विशेषज्ञताओं में:
   क्रमशः पुरुषों और महिला रोगियों के लिए मरहम पट्टी कक्ष।
   बहिरंग रोगियों की शल्य–चिकित्सा के लिए आपरेशन थियेटर।

   (ख) नेत्र–चिकित्सा सेक्शन में:
   रिफ्रेक्शन कक्ष, डार्क रूम, मरहम पट्टी कक्ष आदि।

   (ग) विकलांग सेक्शन में :

   (घ) ईएनटी सेक्शन में:
   ध्वनि–रोधी कक्ष, ईएनजी प्रयोगशाला और वाणी–सुधार चिकित्सा सुविधाएं

(ड.) बाल रोग विभाग में:
रोगप्रतिरोधक निदान गृह सहित: बाल कल्याण
बाल मार्गदर्शन निदान गृह
वाणी–सुधार चिकित्सा और आक्युपेशनल थेरेपी की सुविधाओं सहित बाल पुनर्वास निदान गृह

(च) प्रसूति एवं स्त्रीरोगविज्ञान विभाग में:
प्रसूति–पूर्व निदान गृह, परिवार कल्याण निदान गृह
स्टरलिटी निदान गृह

कैंसर अभिज्ञान निदान गृह

प्रसूति गृह से जुड़ा एकत्रित पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग–अलग छात्र ड्यूटी कक्ष होगा।

(छ) दंतचिकित्सा सेक्शन:
दंत शल्य–चिकित्सा और प्रोस्थेटिक दंत चिकित्सा के लिए स्थान।

ख.3.2 मरीजों के लिए स्वागत कक्ष और प्रतीक्षा हाल

ख.3.3 छात्रों के लिए एक संगोष्ठी कक्ष

ख.4 केंद्रीय प्रयोगशालाएं :

उपकरणों से लैस और अद्यतन केंद्रीय प्रयोगशालाएं होंगी। ये प्रयोगशालाएं वरीयत: हिस्टोपैथोलोजी, साइटोपैथोलोजी, रुधिर–विज्ञान, रोगप्रतिरोधी–विज्ञान, सूक्ष्मजीव–विज्ञान, सूक्ष्मरसायन–विज्ञान और अन्य विशेषज्ञता वाले कार्य, यदि कोई हैं, में सभी जांचों के लिए सामान्य संग्रहण के निकट होंगी।

ख.5 केंद्रीय आपातकालिक विभाग

उपरकणों से लैस और अद्यतन **गहन** न चिकित्सा इकाई (आईसीयू) – 5 बिस्तरे, सघन हृदयी चिकित्सा इकाई (आईसीसीयू) – 5 बिस्तरे, **गहन** चिकित्सा बाल रोग/नवजात शिशु इकाई – 5 बिस्तरे और वरीयत: तपेदिक एवं श्वसनी रोगों में **गहन चिकित्सा** इकाई होंगी। आपातकालीन अभिज्ञात इकाई में बिस्तरों की संख्या 30 होगी। आईसीयू

आपातकालीन इकाई के निकट स्थित होनी चाहिए। ये सभी सुविधाएं कॉलेज के आरंभ किए जाने के समय कार्यात्मक होनी चाहिए।

ख.6 केंद्रीय अस्पताल औषधशाला

इसमें औषधियों के संवितरण के लिए सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा प्रमाणित योग्यताप्राप्त भेषजज्ञ प्रभारी और अन्य स्टाफ होना चाहिए।

1.7 केंद्रीय रसोईघर

केंद्रीय रसोईघर वस्तुओं से लैस, हवादार, धूपदार, स्वच्छ, उचित फर्श वाला और संपूर्ण **संवातन** प्रणाली वाला होना चाहिए। खाना पकाने का कार्य या तो बिजली द्वारा या गैस द्वारा किया जाना चाहिए। इसमें उचित और स्वच्छ वर्किंग प्लेटफार्म उपलब्ध कराए जाने चाहिए। उचित भंडारण सुविधाओं के साथ एक अलग भंडारण क्षेत्र भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए। भोजन के लिए सर्विस ट्रालियां गर्म होनी चाहिए और ये स्टेनलैस स्टील से ढकी होनी चाहिए।

ख.8 अस्पताल अपशिष्ट प्रबंधन

राज्य विनियामक प्राधिकारियों आदि के अनुरूप अस्पताल अपशिष्टि प्रबंधन की सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

ख.9 स्टाफ क्वार्टर्स

ख.9.1 यथापेक्षित कनिष्ठ आवासी डाक्टरों और सभी वरिष्ठ आवासी डाक्टरों को 100 प्रतिशत कवर करने के लिए पर्याप्त संख्या में क्वार्टर होने चाहिए।

ख.9.2 नर्सों, अध्यापन और गैर–अध्यापन स्टाफ में से प्रत्येक को कम से कम 20 प्रतिशत कवर करने के लिए पर्याप्त संख्या में क्वार्टर होने चाहिए।

ख.10 केंद्रीय अस्पताल भंडार

औषधियों, उपकरणों आदि के भंडारण और **आपूर्ति** के लिए एक केंद्रीय अस्पताल भंडार होना चाहिए।

ख.11 छात्रों के लिए छात्रावास

कालेज/संस्थान में, एक निश्चित समय पर, छात्रों के कुल प्रवेश के कम–से–कम 75 प्रतिशत के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। छात्रावास के प्रत्येक कमरे में तीन से अधिक छात्र नहीं होने चाहिए। ऐसे कमरे का आकार 27 वर्ग मीटर से कम नहीं होगा। प्रत्येक छात्र को स्वतंत्र और अलग फर्नीचर उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें कुर्सी, मेज, चारपाई और पूरे आकार का कपबोर्ड शामिल होगा। सिंगल सीटेड कमरे के मामले में इसका क्षेत्रफल कम से कम 9 वर्ग मीटर होना चाहिए। प्रत्येक छात्रावास में एक आगंतुक कक्ष, कंप्यूटर और इंटरनेट की सुविधाओं के साथ एक अध्ययन कक्ष होना चाहिए और यह वातानुकूलित होना चाहिए। मनोरंजन की सुविधाओं वाला एक कमरा होगा जिसमें, टेलीविजन, संगीत, इनडोर खेल आदि होंगे और छात्रों के लिए भोजन की सुविधाएं होगी।

अनुसूची–II - स्टाफ संबंधी आवश्यकताएं

क. सामान्य अभ्युक्तियां :

1. चिकित्सा शिक्षा के व्यावहारिक अनुदेशों और प्रदर्शन पर आधारित होने के कारण छोटे समूहों पर जोर दिया जाता है। अध्यापकों की संख्या इस अनुसूची के उपबंधों के अनुसार होनी चाहिए ताकि प्रभावी ढंग से अनुदेश दिए जा सकें।

2. मेडिकल कॉलेज के सभी विभागों का अध्यापन स्टाफ पूर्णकालिक होगा।

3. इन विनियमों में स्नातक–पूर्व चिकित्सा शिक्षा की न्यूनतम शर्तें कवर की गई हैं । बाह्य रोगी विभाग, अंतरंग विभागों, आपरेशन थिएटरों और गहन चिकित्सा क्षेत्रों, जहां आपातकालिक मरीजों की देखभाल, नैदानिक प्रयोगशाला कार्य/फील्ड कार्य में कार्यभार बहुत अधिक है या विषेशज्ञता के स्वरूप का है, में अतिरिक्त अध्यापन और गैर–अध्यापन स्टाफ की आवश्यकता भी होगी।

4. अनुभवी अध्यापकों से स्नातक–पूर्व छात्रों द्वारा ज्ञान प्राप्त करना सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि अध्यापन के प्रत्येक विभाग में पर्याप्त संख्या में उच्चतर पद (प्रोफेसर/ रीडर) उपलब्ध कराए जाएं।

5. शरीरक्रिया–विज्ञान, शरीर–विज्ञान, जीवनरसायन, औषध–विज्ञान और सूक्ष्मजीव–विज्ञान विभागों में, विभाग में पदों की कुल संख्या के 30 प्रतिशत की सीमा तक गैर–चिकित्सा अध्यापक नियुक्त किए जाएं। संबंधित विषय में व्याख्याता के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए एक गैर–चिकित्सा अनुमोदित मेडिकल एमएससी की शैक्षिक योग्यता एक पर्याप्त शैक्षिक योग्यता होगी। परंतु उच्चतर अध्यापन पद पर पदोन्नति के लिए किसी अभ्यर्थी को पीएच.डी. की डिग्री की शैक्षिक योग्यता या उसके समकक्ष शैक्षिक योग्यता प्राप्त करनी चाहिए। तथापि, जीवरसायन–विज्ञान विभाग में, विभाग में पदों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत की सीमा तक गैर–चिकित्सा अध्यापक नियुक्त किए जा सकते हैं। गैर–नैदानिक विभागों में अध्यापकों की कमी को ध्यान में रखते हुए, उक्त विभाग में उक्त नियुक्ति के लिए किसी उपयुक्त विशेष गैर–नैदानिक विशेषज्ञता में उपयुक्त चिकित्सा अध्यापक उपलब्ध न होने की स्थिति में गैर–चिकित्सा व्यक्तियों को विभागाध्यक्ष तक बनने की छूट दी जा सकती है। तथापि किसी गैर–चिकित्सा व्यक्ति को किसी भी सूरत में, किसी संस्थान का निदेशक/ प्रधानाचार्य/ डीन/ चिकित्सा अधीक्षक या उसके समकक्ष पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। कम्युनिटी मेडिसिन विभाग में सांख्यिकीविद् व व्याख्याता नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति के पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से उस विषय विशेष में एम.ए./ एम.एससी. की शैक्षिक

योग्यता होनी चाहिए। ये शर्तें अध्यापक पात्रता शैक्षिक योग्यता विनियमावली के अनुसार हैं।

6. हृदयविज्ञान, तंत्रिका रोग विज्ञान, तंत्रिका शल्य–चिकित्सा जैसे उच्चतर विशेषज्ञता विभागों में अध्यापक को स्नातक–पूर्व चिकित्सा शिक्षा के लिए अपेक्षित अध्यापकों की संख्या में नहीं गिना जाएगा।

विभाग–वार स्टाफ की आवश्यकता – गैर–नैदानिक

(1) शरीर–विज्ञान विभाग

		अपेक्षित स्टाफ संख्या
1.	*प्रोफेसर*	*1*
2.	*एसोसिएट प्रोफेसर*	*2*
3.	*सहायक प्रोफेसर*	*4*
4.	*ट्यूटर/ प्रदर्शक*	*5*
5.	*तकनीशियन*	*1*
6.	*डाइसेक्शन हॉल प्रचालक*	*4*
7.	*स्टोर कीपर व लिपिक व कंप्यूटर प्रचालक*	*1*
8.	*सफाई कर्मचारी*	*2*

(2) शरीर–क्रियाविज्ञान विभाग

1.	*प्रोफेसर*	*1*
2.	*एसोसिएट प्रोफेसर*	*2*
3.	*सहायक प्रोफेसर*	*4*
4.	*ट्यूटर/ पदर्शनक*	*5*
5.	*तकनीशियन*	*1*
6.	*स्टोर कीपर व लिपिक व कंप्यूटर प्रचालक*	*1*
7.	*सफाई कर्मचारी*	*2*

(3) जीव–रसायन विज्ञानविभाग विभाग

1.	*प्रोफेसर*	*1*
2.	*एसोसिएट प्रोफेसर*	*1*

3.	सहायक प्रोफेसर	3
4.	ट्यूटर/ पदर्शनक	5
5.	तकनीशियन सहायक/ तकनीशियन	2
6.	स्टोर कीपर व लिपिक व कंप्यूटर प्रचालक	1
7.	सफाई कर्मचारी	2
8.	प्रयोगशाला परिचारक	1

(4) रोग–विज्ञान विभाग

1.	प्रोफेसर	1
2.	एसोसिएट प्रोफेसर	3
3.	सहायक प्रोफेसर	5
4.	ट्यूटर/ प्रदर्शक	7
5.	तकनीकी सहायक/ तकनीशियन	4
6.	प्रयोगशाला परिचर	2
7.	आशुलिपिक व कंप्यूटर प्रचालक	1
8.	स्टोर कीपर एवं रिकार्ड कीपर	1
9.	सफाई कर्मचारी	2

(5) सूक्ष्मजीव–विज्ञान विभाग

1.	प्रोफेसर	1
2.	एसोसिएट प्रोफेसर	2
3.	सहायक प्रोफेसर	3
4.	ट्यूटर/ प्रदर्शक	5
5.	तकनीकी सहायक/ तकनीशियन	7
6.	प्रयोगशाला परिचर	2
7.	स्टोर कीपर व रिकार्ड कीपर	1
8.	आशुलिपिक व कंप्यूटर प्रचालक	1
9.	सफाई कर्मचारी	2

(6) भेषज–विज्ञान विभाग

1.	प्रोफेसर	1
2.	एसोसिएट प्रोफेसर	2
3.	सहायक प्रोफेसर	3

4.	ट्यूटर/ प्रदर्शक	4
5.	प्रयोगशाला परिचर	2
6.	स्टोर कीपर व लिपिक व कम्प्यूटर प्रचालक	1
7.	सफाई कर्मचारी	2

(7) फोरेंसिक मेडिसिन विभाग

1.	प्रोफेसर	1
2.	एसोसिएट प्रोफेसर	1
3.	सहायक प्रोफेसर	3
4.	ट्यूटर/ प्रदर्शक	4
5.	तकनीकी सहायक/ तकनीशियन	2
6.	प्रयोगशाला परिचर	2
7.	स्टैनो टाइपिस्ट	1
8.	स्टोर कीपर व लिपिक व कंप्यूटर प्रचालक	1
9.	सफाई कर्मचारी	4

टिप्पणी : प्रति वर्ष 500 से अधिक शव–परीक्षण कार्य के मामले में दो अतिरिक्त ट्यूटर/ प्रदर्शक उपलब्ध कराए जाएंगे।

(8) कम्युनिटी मेडिसिन विभाग

1.	प्रोफेसर	1
2.	एसोसिएट प्रोफेसर	2
3.	सहायक प्रोफेसर	4
4.	एपिडोमियोलॉजिस्ट व सहायक प्रोफेसर	/
5.	सांख्यिकीविद व सहायक प्रोफेसर	1
6.	ट्यूटर/ प्रदर्शक	5
7.	चिकित्सा सामाजिक कार्यकर्ता	1
8.	तकनीकी सहायक/ तकनीशियन	1
9.	आशुलिपिक	1
10.	कीपर व लिपिक व लिपिक व कंप्यूटर प्रचालक	1
11.	स्टोर कीपर	1
12	सफाई कर्मचारी	1

ग्रामीण प्रशिक्षण स्वास्थ्य केंद्र (फील्ड कार्य और ऐपिडेमियोलॉजिकल अध्ययन सहित)

1.	स्वास्थ्य व व्याख्याता/ सहायक प्रोफेसर का चिकित्सा अधिकारी	1
2.	महिला चिकित्सा अधिकारी	1
3.	चिकित्सा सामाजिक कार्यकर्ता	2
4.	जन स्वास्थ्य नर्स	1
5.	स्वास्थ्य निरीक्षक/ स्वास्थ्य सहायक (पुरुष)	1

6.	स्वास्थ्य शिक्षक	1
7.	तकनीकी सहायक/ तकनीशियन	1
8.	चपरासी	1
9.	वैन ड्राइवर	1
10.	स्टोर कीपर व रिकार्ड क्लर्क	1
11.	सफाई कर्मचारी	2

शहरी प्रशिक्षण स्वास्थ्य केंद्र

1.	स्वास्थ्य व व्याख्याता/ सहायक प्रोफेसर का चिकित्सा अधिकारी	1
2.	महिला चिकित्सा अधिकारी	1
3.	चिकित्सा सामाजिक कार्यकर्ता	2
4.	जन स्वास्थ्य नर्स	1
5.	स्वास्थ्य निरीक्षक	2
6.	स्वास्थ्य शिक्षक	1
7.	तकनीकी सहायक/ तकनीशियन	2
8.	चपरासी	1
9.	वैन ड्राइवर	1
10.	स्टोर कीपर	1
11.	रिकार्ड क्लर्क	1
12.	सफाई कर्मचारी	2

टिप्पणी : शहरी और ग्रामीण प्रशिक्षण स्वास्थ्य केंद्र कॉलेज के डीन/ प्रधानाचार्य के सीधे नियंत्रण होने चाहिए।

ग. विभाग--वार स्टाफ की आवश्यकता – नैदानिक विभाग

(1) सामान्य

1. प्रत्येक विभाग में पूर्णकालिक प्रोफेसर के रैंक का एक विभागाध्यक्ष होगा, जिसके पास विभाग का संपूर्ण नियंत्रण होगा।

2. विभागों का स्टाफिंग पैटर्न इकाइयों के आधार पर आयोजित किया जाएगा।

3. एक इकाई में उसके प्रभार में 30 बिस्तरे से अधिक न हों। तथापि तपेदिक एवं श्वसनी रोग विभाग, त्वचा रोग–विज्ञान विभाग, रतिरोग एवं कुष्ठ रोग–विज्ञान विभाग, मनश्चिकित्सा रोग विभाग, नेत्ररोग–विज्ञान विभाग और ईएनटी विभाग में एक इकाई में उस विशेषज्ञता के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा स्वीकृत संख्या होगी, चाहे बिस्तरों की कुल संख्या 30 से कम ही क्यों न हो।

4. प्रत्येक इकाई की न्यूनतम स्टाफ संपूर्ण संख्या निम्नलिखित होगी, नामतः

(क)	प्रोफेसर/ रीडर	1
(ख)	व्याख्याता	1
(ग)	वरिष्ठ आवासी डाक्टर /ट्यूटर/रजिस्ट्रार	1
(घ)	कनिष्ठ आवासी डाक्टर	3 से 4